रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 19, 1993/आश्विन 27, 1915
No. 359] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 19, 1993/ASVINA 27, 1915

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

अधिसूचना

बम्बई, 16 सितम्बर, 1993

स. फेरा 155/93-आरबी

सा.का.नि. 660(अ).—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 29 की उप-धारा (1) के अनुसरण में तथा दिनांक 8 जनवरी, 1992 की अपनी अधिसूचना सं. फेरा 99/92-आरबी के अधिक्रमण में रिजर्व बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत से बाहर रहने वाले किसी भारतीय नागरिक को कोई अचल संपत्ति, (वाणिज्यिक/आवासीय) अथवा

भारतीय मूल के किसी विदेशी नागरिक को जो कि ऐसी संपत्ति भारत में रखता है, ऐसी संपत्ति किराये पर देने की सहर्ष अनुमति प्रदान करता है :—

(क) किराये की आय तथा ऐसी आय के निवेश से प्राप्त कोई राशि भारत के बाहर प्रत्यावर्तित नहीं की जाएगी, और

(ख) किराये की आय भारत स्थित किसी बैंक में खोले गये उसके अनिवासी (साधारण) रुपया खाते में जमा की जाएगी।

स्पष्टीकरण :

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ किसी विदेशी नागरिक को भारतीय मूल का माना जाएगा यदि—

(i) किसी समय उसके पास भारतीय पासपोर्ट रहा हो, अथवा

(ii) वह अथवा उसके पिता अथवा पितामह भारतीय संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अनुसार भारत का/के नागरिक रहा/रहें हों।

परंतु, पाकिस्तान, बंग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के नागरिक भारतीय मूल के नही माने जाएंगे।

[सं. एफ. 10/93/92-एफ आर आई-सीईएलएल]

डी. आर. मेहता, उप गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

NOTIFICATION

Bombay, the 16th September, 1993

No. F. E. R. A. 155|93-RB

G.S.R. 660(E).—In pursuance of sub-section (1) of Section 29 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) and in supersession of its notification No. FERA. 99|92-RB dated 8th January 1992, the Reserve Bank is pleased to permit the letting out of any immovable property (commercial|residential) by an Indian citizen resident outside India or a foreign citizen of Indian origin who holds such property in India, subject to the following conditions, namely :—

(a) that the rental income and the proceeds of any investment out of such income shall not be repatriable outside India, and

(b) the rental income shall be credited into his Non-resident (Ordinary) Rupee Account maintained with a bank in India.

Explanation :

For the purpose of this notification, a foreign citizen shall be deemed to be of Indian origin if —

(i) he held an Indian passport at any time, or

(ii) he or his father or grandfather was a citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955).

Provided that the citizens of Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Nepal and Srilanka shall be deemed to be not of Indian origin.

[No. F. 10|93|92-NRI CELL]

D. R. MEHTA, Dy. Governor

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993